रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2011/वैशाख 19, 1933
No. 242] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2011/VAISAKHA 19, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2011

सा.का.नि. 370(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरांत, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) संशोधन नियमावली, 2011 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम भारत के असाधारण सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में नियम 18 में—

(क) उप-नियम (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में अचल संपत्ति का कोई लेन-देन करता है, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य सरकारी कर्मचारी के दो माह के मूल वेतन से अधिक है, वह ऐसे लेन-देन की तारीख से एक महीने के भीतर इस लेन-देन की सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को देगा :

बशर्ते कि यदि कोई ऐसा लेन-देन किसी सरकारी संव्यवहार वाले किसी व्यक्ति के साथ हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी" ।

(ख) स्पष्टीकरण 1 में, खण्ड (1) में, उप-खण्ड (क) में, "10,000 रु. अथवा सरकार से प्राप्त कुल वार्षिक परिलब्धियों का 1/6, जो भी कम हो" अक्षरों, आंकड़ों तथा शब्दों के स्थान पर "सरकारी कर्मचारी का दो माह का मूल वेतन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 11013/8/2009-स्था. (क)]

ममता कुन्द्रा, संयुक्त सचिव (ई)

टिप्पणी :-मुख्य नियम का.आ. 4177, दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे, अर्थात् :—

(1)	का.आ. 482	दिनांक 14 फरवरी, 1970
(2)	का.आ. 3643	दिनांक 4 नवम्बर, 1972
(3)	का.आ. 83	दिनांक 13 जनवरी, 1973

(4) का.आ. 846 दिनांक 28 फरवरी, 1976
(5) का.आ. 2563 दिनांक 17 जुलाई, 1976
(6) का.आ. 2691 दिनांक 24 जुलाई, 1976
(7) का.आ. 4663 दिनांक 11 दिसम्बर, 1976
(8) का.आ. 2859 दिनांक 17 सितम्बर, 1977
(9) का.आ. 2859 दिनांक 30 सितम्बर, 1978
(10) का.आ. 3 दिनांक 6 सितम्बर, 1980
(11) का.आ. 1270 दिनांक 10 जून, 1980
(12) का.आ. 4812 दिनांक 19 अक्तूबर, 1985
(13) का.आ. 935 दिनांक 8 मार्च, 1986
(14) का.आ. 1124 दिनांक 22 मार्च, 1986
(15) का.आ. 3159 दिनांक 20 सितम्बर, 1986
(16) का.आ. 3280 दिनांक 27 सितम्बर, 1986
(17) का.आ. 1965 दिनांक 8 अगस्त, 1987
(18) का.आ. 1454 दिनांक 14 मई, 1988
(19) का.आ. 2582 दिनांक 6 अक्तूबर, 1990
(20) का.आ. 3182 दिनांक 26 दिसम्बर, 1992
(21) सा.का.नि. 355 दिनांक 29 जुलाई, 1995
(22) सा.का.नि. 367 दिनांक 31 अगस्त, 1996
(23) सा.का.नि. 49 दिनांक 7 मार्च, 1998
(24) सा.का.नि. 342 दिनांक 23 अक्तूबर, 1999
(25) सा.का.नि. 458 दिनांक 27 दिसम्बर, 2003
(26) सा.का.नि. 376 दिनांक 18 अक्तूबर, 2005
(27) सा.का.नि. 8 दिनांक 27 जनवरी, 2009